कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक, भिवाड़ी द्वारा जारी पुलिस सत्यापन प्रमाण–पत्र क्रमांक 2349010 दिनांक 16.02.2021 में श्री भूपेन्द्र यादव पुत्र श्री बलवन्त सिंह यादव के विरूद्ध निम्नलिखित अपराध विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत पंजीबद्ध होना बताया है–

क्र स	भर्ती एवं भर्ती वर्ष	नाम अभ्यर्थी	Act Section	Present Status	विशेष विवरण
1	प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 चयनित विषय – गणित	भूपेन्द्र यादव	307 (IPC 1860), 302 (IPC 1860), 147 (IPC 1860), 323 (IPC 1860), 341 (IPC 1860)	Pending Trial	

कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 04.12.2019 में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में दोषमुक्ति के संबंध में विभाग स्तर पर गठित समिति जिसमें पुलिस अधिकारी भी सम्मिलित थे, द्वारा अभ्यर्थी के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों का समुचित परीक्षण किया गया।

अभ्यर्थी के वर्तमान में माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरणों में दोषमुक्ति के आधार पर नियुक्ति कि मांग के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक विभाग द्वारा राजकीय सेवा में चयनित अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन हेतु जारी परिपत्र क्रमांक प.01(1)कार्मिक/क–2/2016 दिनांक 04.12.2019 में अंकित माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली प्रशासन बनाम सुनिल कुमार (1996(11)CC 605) में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि **"राजकीय सेवा में नियुक्ति प्रदान करते समय अभ्यर्थी का चरित्र एवं पुर्व आचरण महत्वपूर्ण है। आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्धि अथवा दोषमुक्ति अर्थात वास्तिविक परिणाम इतना सुसंगत नहीं है, जितना कि अभ्यर्थी का आचरण व चरित्र"**। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति दिये जाने या न दिये जाने के संबंध में नियुक्ति अधिकारी को प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं जिस पद पर नियुक्ति दी जानी है उस पद के कार्य की प्रकृति एवं गरिमा के अनुसार गुणावगुण पर निर्णय लेना चाहिए।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवतार सिंह बनाम भारत गणराज्य व अन्य (एसएलपी(सी) नं. 4757/2018 एवं 24320/2014) में पारित निर्णय में "The Employer Shall take into consideration the government orders/instructions/rules, applicable to the employee, at the time of taking the decision. Where conviction has been recorded in case which is not trival in nature, employer may cancel candature of terminate services of the employee. If acquittal had already been recorded in a case involving moral turpitude or offence of heinous/serious nature, on tecnical ground and it is not a case of clean acquittal. or benifit of reasonable doubt has been given, the employer may consider all relevant facts available as to antecedents, and may take appropriat decision as to the continuance of the employee. In a case where the employee has made declaration truthfully of a concluded criminal case, the employer still has the right to consider antecedents, and cannot be compelled to appoint the candidate."

अभ्यर्थी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की विभिन्न धाराओ में 5 आपराधिक प्रकरण दर्ज है। अभ्यर्थी के विरूद्ध दर्ज प्रकरण कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 04.12.2019 के बिन्दु संख्या 01 ऐसे प्रकरण/स्थितियां जिनमें नियुक्ति हेतु अपात्रता मानी जानी चाहिए के उप बिन्दु (v) एवं (vi) एवं अन्य बिन्दुओं में वर्णित संगीन एवं संज्ञेय अपराधों के अन्तर्गत दर्ज है।

विद्यालय में कार्मिक का कार्य विषय विशेष के शिक्षण/प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के साथ विद्यार्थी को उत्तम चरित्र एवं अनुशासन की शिक्षा देना भी होता है। प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) के कार्य की प्रकृति एवं गरिमा को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थी पर भारतीय दण्ड संहिता की विभिन्न धाराओं में दर्ज आपराधिक प्रकरण नैतिक अधमता "Moral turpitude" की श्रेणी में होने से एवं विभाग स्तर पर गठित समिति की अनुशंषा के आधार पर श्री भूपेन्द्र यादव को व्याख्याता के पद पर नियुक्ति प्रदान किया जाना उचित नहीं है। अतः श्री भूपेन्द्र यादव की नियुक्ति निरस्त की जाती है।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकःशिविरा/मा/संस्था/सी–3/भौगक्/शिकायत–जांच/पीएससी–18/2020–21 दिनांकः 06-10-21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा/जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्य.)/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.........।
3. प्रधानाचार्य राउमावि गादोला (चित्तौड़गढ़)/ राउमावि कपासन (चित्तौड़गढ़)।
4. अभ्यर्थी श्री भूपेन्द्र यादव मेरिट नम्बर 20।
5. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

Rajasthan Education Department